



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082020-221451
CG-DL-E-31082020-221451

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2608]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2020/भाद्र 6, 1942

No. 2608]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2020/BHADRA 6, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त 2020

का.आ. 2939(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 65(अ.), दिनांक 7 जनवरी, 2016, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या मंत्रालय के ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में कोल्लम जिला के पुनलूर तालुक (पहले पथानापुलम तालुक) में स्थित है, जो 172.403 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अभयारण्य केरल राज्य में अगस्थायामलै जीवमंडल रिज़र्व के कोर क्षेत्र का भाग है और पेरियार हाथी रिज़र्व का भाग भी है। शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य जी. ओ. (पी) 258/84/एडी दिनांक 25 अगस्त, 1984 को अधिसूचित किया गया था। अभयारण्य का नाम स्थानीय रूप से 'चेनकुरिनजी' वृक्ष के नाम पर रखा गया है, जो इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है, जो कि कुलाथुपुझा रिज़र्व वनों के अंतर्गत आता है;

और, शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य दक्षिणी पश्चिमी घाटों की सुन्दर पहाड़ियों और घाटियों के अंतर्गत आता है। अभयारण्य में जीवित जीवों की समृद्ध और विविध श्रेणी का वास है। दो मानसून से भारी वर्षा और अनुकूल एडाफिक

कारकों द्वारा उष्णकटिबंधीय जलवायु की प्रशंसा पौधे जीव की उपज के उत्कर्ष के लिए काल्पनिक स्थिति बनाती है। शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य की जैवविविधता समृद्धि, आर्थिक लाभ, संस्कृति, जलग्रहण और जलग्रहण क्षेत्र, मानव पारिस्थितिकी, सौंदर्य महत्त्व और वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा की क्षमता, आदि इसके महत्त्व की पुष्टि करते हैं। इस संदर्भ में, शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य के वनों का संरक्षण किया जाना चाहिए;

और, शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य से एंजियोस्पर्म प्रजातियां पहचानी गई हैं, जिसके अंतर्गत इस अभयारण्य की पुष्प पौधों की लगभग 1257 प्रजातियों का संबंध 125 परिवारों से अधिक अभिलिखित किया गया है जो कि पश्चिमी घाटों में स्थानिक है, यह केरल से अनुमानित कुल पुष्प पौधों के लगभग 28% का प्रतिनिधित्व करता है। अभयारण्य में मुख्य वनस्पति वाथाक्कोल्ली (*कनारावेल्लि जेयलानिका*), कट्टुपुन्ना (*डील्लेनिया बराकटेटा*), कोडावाजा (*कयाथोकलयक्स जेयलानिकस*), कुवूल्लय-फ्रूट मिलिउसा (*मलिउसा इरेओकेरपा*), मंजारा (*मित्रेफोरा ग्रैंडिफ्लोरा*), चेरुनेडुनार (*पोलील्लिया केरासोइडस*), गुआ कोली (*पोलील्लिया सुबेरोसा*), इलापोंगु (*जाइलोपिया परविफोलिया*), मरमंजल, मारथी, मंजावल्ली (*कोस्किनियम फेनेस्ट्रैटम*), महालिखीझंगु मालाथंगी (*मंस्ट्रेफोनिया विघटी*), चारालपाझाम (*फलाकूउरिटा मोनटाना*), मरोट्टी (*हाइडेनोकार्पस पेटेंडा*), मडक्का (*ज़ेंथोफिलम अनोटियानम*), कट्टुपुन्ना (*कैलोफिलम पॉलीथेनम*), पूरा (*गार्सिनिया रूब्रो-इचिनाटा*), ननक् (*मैसुआ फेरिया*), ईयाकम (*होपिया एरोसा*), वेल्लाप्पायिन (*वातेरिया इंडिका*), अनीचाम, कालापू, मुल्लीलावु (*बोम्बक्स केइवाला*), इडामपिरी वालाम्परी (*हेलीक्टेरेस इसोरा*), पाम्बाराम (*पेटेरोस्पेरमुम डिबेरसिफोलियम*), कावालाम, पैनारी (*अस्टेरकुलिया गुट्टाटा*), नारूथा (*ग्रेविया सेरूलाटा*), भसमावल्ली, कोक्कीवल्ली (*ग्रेविया उमबेल्लीफेरा*), कारा (*इलाओकारपुस वारिअबिलिस*), थमारी (*इलाओकारपुस वेनुस्टस*), चिट्टीलाकोडी, मचिंगा, उनापूव (*इम्पेटिनस चिनेसिस*), कट्टुनाराकाम (*अटालांटिया रेसमोसा*), चुवान्नाकिल, निलानारागाम, निलानाराई (*नेरेगामिया अलाटा*), कंचिमारा (*बालसुरा टरीफोलिया*), काल्मनिकयाम, कालकडाम्बु (*स्टोम्बोसिया केयलानिका*), कारूवाली (*पलेउरोसस्टयलिया ओप्पोसिता*), राइकानायाकाम, पोनकरांडी (*सलाकिया फरूटिकोसा*), जूली, कोट्टामुल्लु, माराली, अलंकमारा (*तुरपिनिया मालाबारिका*), मुक्कन्नापरुकु, सिरुवल्ली (*एलोफिलस सरटिस*), पुडुक्कोल्ली, चिट्टीलामाडाक्कु (*हारपुलिया अबोरिया*), पाडप्पान (*इल्लीपांथुस टोमेंटोसुस*), अमेरिकन जोइंट वेटच (*उस्चयनोमेने अमेरिकाना*), ओरिला, पुल्लाडी (*डेस्मोडियम गंगोटीकम*), अडाक्कापानाल, अडाक्काचोक्की (*डेस्मोडियम ट्रीक्यूटरूम*), मालामांजाडी (*ओरमोसिया टरावांकोरिका*), थोटा-पियार (*पुइरा रिआ फासेओलोइडेस*), अरमपुली (*बाउहिनिया*), चिंगमुल्लु, इथुवनम, कालथोट्टावाडी (*काइसालपिनिया मिमोसोइडेस*), कुलावू (*किगिओडेड्रोने पिन्नाटम*), पट्टावाका, पुंथांवाका (*अलबिजिया चिनेसिस*), अहाक्कटलो, काक्कावल्ली (*इंटाडा र्हेडी*), इराट्टानी, अट्टनारिपोंगु (*पुनस सीलोनिका*), थैप्पुल्लु, अकारा-पुडा (*डरोसेरा इंडिका*), पुल्लंजी (*कैलिकोप्टेरिस फ्लोरिबुन्डा*), थार्त्ती (*टर्मिनलिया बेल्लीरीका*), मालामचाम्बा (*सिजेगियम मुनरोनी*), पेड्डु (*कैरिया अरबोरेया*), कडाली (*मैलास्टोमा मालाबाथरिकम*), मानिमारुथु (*लागेस्टोइमिया रेगिनेड*), नैरकारायाम्बु (*लुडविगिया पेरेन्नीस*), कासाप्पुचेडी, मुक्कालप्पेराम (*मुकिया माडेरास्पेटाना*), कालथामारा (*अवेगोनिया फ्लोक्किफेरा*), करीमुट्टी, कारीकुडुगाल (*गैओफिला रेपेन्स*), चैथी (*लक्सोरा अलबा*), पूचाकाडाम्बु, नैरकाडाम्बु (*मित्राजना परविफोलिया*), कट्टुप्पा (*एग्रेटम कॉन्जियोडाइडस*), आसाम पाचा, कोम्मुनिस्ट-पाचा (*चरोमोलेइना अडोराटा*), कार्दथोन्नी, काइयान-टकारा (*इकलिपटा प्रोस्टा*), (*गयनुरा यकोपेरसिकिफोलिया*), मकाराना, थैम्बु (*वेरनोनिया ट्रावानकोरिका*), मुट्टामारा (*अरडिसिया पाउकिफलोरा*), कारीमाराम (*डायोस्पायरस सयलवाटिका*), मालांकुरुवी (*सिम्प्लोकोस मैक्रोफयल्ला*), पिंकान (*लिगुस्टरूम पेरिट्टेटी*), इजहीलाम पाला (*एलस्टोनिया स्कॉलरिस*), अप्पुपन्थादी (*चोनेमोरफा फरागरांस*), पालवल्ली (*इचनोकेरपुस फ्रूटसकेनस*), अमालपोरी (*रायवोलफिया वेटीकिल्लाटा*), अयाप्पाला, मयलाम्पाला (*वारिघाटिया अरबोरिया*), नरुनांडी, नारुनेंडी (*हेमिडेस्मुस इंडिकस*), इल्लोदीयान (*होया विघटी*), कंजीराम (*स्टेरचनोस नुक्स-वोमिका*), चेरूटाली, थिरूथाली (*लपोमोइया ओबस्कर*), कोलावारावल्ली, कोरावल्ली (*मेरेमिया उमबेल्लाटा*), पूपाथिरी (*स्टेरेओस्पेरमुम कोलाइसि कोलाइस*), इलुम्बोट्टी (*बलेफारिस माडेरास्पेटेसिस*), वाट्टाप्यारुवालाम, परूकु (*कलेरोडेडरूम इंफोरतुनातुम*), अराम्बोडाल, नजारामबोडाल (*स्पहेनोडेसमे पानीकुलाटा*), थाञ्जुथामा (*बोइरहाविया डिफ्फुसा*), इस्त्वारामुल्ला, गरूडाक्कोडी (*अरीस्टोलाचिया इंडिका*), टनारी, पैन्नीपेरुवेलम (*लेपिएथस उमबेल्लाटा*), कुरुमुलाक (*पिपेर लोंगुम*), चोराप्पायिन (*कनेमा अट्टेनुअटा*), इयोली, मालाविरिंजी (*एक्टिनोडाफेने बोर्दिलोनी*), अट्टुवायाना (*किन्नामोसुम रिपारिउम*), आसहारीप्पुली (*अंटीडेस्मा अकिडम*), थाथालामाराम (*एंटीडेस्मा जायलानिकम*), मुल्लुवेंगा (*बरीडेलिया अइरय-शावी*), कडुवापिडुक्कान (*ड्रायपेटस कंफर्टिफ्लोरा*), अट्टुवाट्टुप्पला, नीलप्पाला (*युफोरबिया हिरता*), वट्टा, उप्पिला (*मैकारंगा पेल्टाटा*), कुरंगुमंजल (*मल्लोटस फिलिपेन्सिस*), नजदमुत्ता, कट्टुनोची (*डेब्रेगोशिया वेलुटिना*), गुंपोवडेर पलांट (*पिलिया माइक्रोफिला*), प्लावु (*आटारिपेरस हेट्टोफिलस*), कल्लारयाल (*फिकस अरनोट्टिअना*), चेला (*फिकस डरूपाकेया*), काल्लीथी (*फिकस मिक्कोकारपा*), निलाथामारा (*नेरविलिया पलिकाटा*), अनाक्वा, मालावायाम्बु (*कोस्टस स्पेकिओसुस*), कट्टुवाझा (*मूसा एक्युमिनाटा*), कंजीराकिझांगु, पूराकिलांगु, नारूकिझांगु (*डिओस्कोरेया वाल्लीचि*), करैपिंग डायफ्लोवर (*कोम्मेलिना डीफ्फुसा*), कालानी (*कयनोटिस पिलोसा*), चूराल (*कलामुस पसेउडोटेनुइस*), कानाकामुगु, कट्टुकुमुगा (*पिनांगा डिसकसोनी*), इलिटथाडी, आनाचूरुकी (*रहाफिडोफोरा पेरटसा*), चेरूकोराप्पुल्लु (*कारेक्स बाक्कांस*), कारम्मारा, मुला (*बम्बोसा बम्बोसा*), सनेहापुल्लु, असथरापुल्लु (*चेरयसोपोगोन अकिकुलाटस*), वारागु, कट्टाराक्कु (*पासपालुम स्कोरोबिकलातुम*), इटचग्रास (*रोट्टेबाइलिया कोचिनचिनेसिस*), आदि उपलब्ध हैं;

और, शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य स्तनधारियों में मकाका रेडेटा दिलुटा (बोन्नेट मकाक्यू), मकाका सिलेनुस (लाइओन-टेल्लड मकाक्यू), पैथेरा पार्डस (तेंदुआ), परिओनाइलुरुस बेंगालेंसिस (तेंदुआ बिल्ली), पैराडाक्सस हेमग्रॉडाइटस (सामान्य पाल्म सिवेट), मार्टेस गवाटकिन्सि (नीलगिरी मार्टेन), हर्पेस्टेस स्मिथी (रूडीय नेवला), हर्पेस्टेस फुसकुस (ब्राउन नेवला), लुटरोगाले पर्सिसिलाटा (स्मोथ-कॉटेल ओटर), एलिफस मैक्सिमूस (एशियाई हाथी), रुसा यूनिकोलर (सांभर हिरण), मोशियोला इंडिका (भारतीय शेवरोट), मानीस क्रसिकाउडाटा (भारतीय साल), फुनाम्बुलुस पाल्मारूम (श्री-स्टीपेड पाल्म गिलहरी), फुनाम्बुलुस सुबिनेअटस (डयस्कीय-स्टीपेड गिलहरी), पेटौरिस्टा फिलीपेंसिस (भारतीय बृहत गिलहरी), बंडीकोटा इंडिका (लार्ज बंडीकूट रेट), हास्ट्रीक्स इंडिका (भारतीय क्रस्टेड साही), रोउसेट्टस

लेचेनाउलटी (फुलवूउस फ्रूट बेत), मेगाडेमा लयरा (ग्रेटर फलसे वाम्पिरी), रहिनोलोफोस रोउक्सी (रूफोउस हॉरसेसहो बेत), स्कोटोफिलुस हेथी (एशियाटिक ग्रेटर यल्लो हाउस बेत), रहिनोलोफोस बेडुमेइ (लेस्सेर वूल्लय होरसेशहोले बेत), टडारीडा ऐगयपटिका (इगीपतिअन फ्री-टेइलड बेत), आदि उपलब्ध है;

और, शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य के पक्षियों में आवासी और प्रवासी पक्षी शामिल हैं। शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य में आवाधिक पक्षी सर्वेक्षण के दौरान पक्षियों की बहुतायत में 267 विभिन्न प्रजातियों को अभिलिखित किया गया था। इसमें गल्लोपेरडिक्स स्पाडिओइया (रेड स्पुर फोवल), पिकुसुस इन्ग्रोमिनाटस (स्पेचकलेड पिकुलेट), डरयोकोपुस जवेन्सिस (ग्रेट ब्लैक कठफोडवा), डिनोपिउम बेंघालेन्से (लेस्सेर गोल्डन बेक्केड कठफोडवा), अलकेडो अट्टहिस (सामान्य किंगफिशर), महलकयोन पिलेइटा (ब्लैक कैप्पेड किंगफिशर), मेरोपस फिलिपिनस (ब्लू टेलड बी -ईटर), हायरोकोकस स्पारवेरीओइडेस (लार्ज हावक कोयल), सुरनिकुलुस लुगुवरिस (डोंगो कोयल), सेंट्रोपस साइनेंसिस (कौवा तीतर), पसिटकुला कीनोसेफला (ब्लॉसम हेडेड परकीट), हीरुंदापूस गिंगटूस (लार्ज ब्राउन थ्रोटेड स्पिनेटाइल स्विफ्ट), अपुस अप्फीनिस (हाउस स्विफ्ट), बुबो निपालेंसिस (वन ईगल उल्लू), गलाउकिडीय राडीअतुम (बर्ड जंगली ओवलेट), इयरोस्टोपूडस माकरोटिस (ग्रेट इरेड निघतजार), कापरिमुलगस अप्फिनिस (फरांकलिस निघतजार), चालकोफापस इंडिका (इमेराल्ड कबूतर), डुकुला एनेसा (ग्रीन इम्पेरीअल कबूतर), पोरजाना फुस्का (रूडी क्रेक), ट्रिंगा हाइपोलेक्युस (सामान्य सैंडपाइपर), लरूस रीडिबुंडस (ब्लैक हेडेड गूल), क्लिडोनियस हाइब्रिडस (विस्करेड टर्न), पनिस पीसिलोरहिकस (क्रेस्टेड हनी बुज़ार्ड), लचथयोफो हुमिलिस (लेस्सेर फिस ईगल), क्रिकस पयगारगुस (मोनटागु हार्रीर), लकटिनाइटुस मालायेंसिस (ब्लैक ईगल), एक्विला विन्धियाने (टैवी ईगल), फाल्को जुगोर (लेगर फाल्कन), फाल्कोकोरैक्स नाइगर (छोटा कॉमरेंट), अरदेया किनेरिया (ग्रे बगुला), अरदेओल गरायी (तालाब बगुला), इक्सोब्रिचस किन्नामीमेउस (चेस्टनट बिटर्न), पिट्टा बराचयरा (भारतीय पिट्टा), चलोरोप्सिस (गोल्ड फ्रोटेट चलोरोप्सिस), डेंड्रोकिट्टा लेउकोगास्ट्रा (दक्षी ट्रीपाइ), रियोलस रियोलस (गोल्डन ओरियोले), कोरेसीना मेलानोप्टेरा (ब्लैक हेडेड कोयल शिक्र), डिक्कुरस एडिसिमिलिस (ब्लैक ड्रोंगो), डिक्कुरस पैराडाइसस (ग्रेटर रैकेट टेलड ड्रोंगो), टेफ्रोडोर्निस विगेंटस (मालाबार वुड शिक्र), मायियोफोनस हॉर्सफील्ड (मालाबार व्हिस्टलिंग थ्रश), टुरडुस मेरूला निगरोपिलेउस (ब्लैक कैप्पेड ब्लैकबर्ड), मुस्किपापा रूफिकाउडा (रूफूउस टेइलेड फ्लाईकैचर), इयमयीअस अलबिकाउडा (निलगीरी फ्लाईकैचर), लुस्किनिया बरुन्नेया (ब्लू चैट), स्टर्नस मैलावारिकस बेलीथि (बेलीथि मैना), ग्रेकुला रेलिगिओसा (पहाड़ी मैना), हिरुंडो कंकोलर (डस्की क्रेग मार्टिन), हिरुंडो फ्लूविकोला (भारतीय कलिफ्फ स्वाल्लोव), पायक्रोनोटस केफेर (रेड वेंटेड बुलबुल), किस्टिकोला जूनकिडीस (स्ट्रीकड फनटैल वार्वलर), जोस्टेरोपस पालपेबरोसा (वाइट इयइ), एकोसेफालुस स्टेनटोरेउस (भारतीय ग्रेट रेड वार्वलर), फिलोस्कोपस ट्रोचिलोइडस (ग्रीनिश लेफ वार्वलर), गैरुलैक्स जेडॉनी फइरबांकी (वाइट ब्रेस्टेड लार्फिंग थ्रश), इमेटीया हायपरित्र (तीनी बेलिएड बब्लेयर), डिक्क्युम एजाइल (थिक बिल्लेड फ्लावर पैकर), नेकटरीनिया मिनिमा (छोटा सनबर्ड), मोटाकिल्ला फलावेमा (ब्लू हेडेड यल्लो वैगटैल), आदि शामिल है;

और, शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य में उभयचरों, सरीसृपों, तितलियों की कई प्रजातियां हैं। वार्षिक सर्वेक्षण के दौरान मुख्य प्रजातियां चामेलो ज़ेलियानिकस (भारतीय गिरगिट), कैलोटस एललियोटी (इलियट वन छिपकली), हेमिडैक्टाइलस ब्रूकी (बुक हाउस गेक्को), मबुया करिनाटा (गबोलडेन स्किक्), रिस्टेल्ला बेडुमी (इडोम्मे कैट स्किक्), बराचिओफिडिम रहोडोगास्टर (सुइलेड टेल स्नेक स्पा), बोइगा टरीगोनाटा (सामान्य कैट स्नेक), कइतोचरोफिस पिस्कोटोर (एशियन वाटर स्नेक), हायप्रा हायप्रा (पिट विपेट), गेगेनेओफिस रामास्वामी (रामास्वामी कैइकिलिअन), डुट्टाफरथनुस बेडुमी (बेडुमी टोड), मेलानोवाटराचुस इंडिकस (भारतीय ब्लैक मेढक), इयफलकटिस कयानोफलकटिस (स्केटरिंग मेढक), इंदिराना बेडुमि (बेडुमे लैपिंग मेढक), मिक्कुरीक्सलुस स्पा (टोरेंट मेढक), नएक्टीवाटराचुस मिनोर (केरला निगर मेढक), राओरचेस्टेस अनीली (अनी बुश मेढक), राओरचेस्टेस चोट्टा (छोटा बुश मेढक), राओरचेस्टेस पोंमुडी (लार्ज पोंमुडी बुश मेढक), राओरचेस्टेस ओचलांडरे (आचलांडा रेड मेढक), पोलयपेटाटेस पसेउडोकरूकिगेर (फलसे होरगलास टी मेढक), नासिकवत्रचस सहयाडेंसिस (भारतीय पर्पल मेढक), चन्ना मरुलिउस (ग्रेट स्नेक हेअड), डेवारिओ एक्यूइपिन्नाटुस (बृहत डानीओ), हायप्सेलोवारबुस कोलुस (शोटीग बारब), पुनटीउस जेरडोनी (जेरडोन कारप), मास्टाकेम्बेलुस अरमाटस (स्पिय इल), पाचलिओप्टा पांडीयाना (मालाबार रोज), ग्राफियम डोसन (सामान्य जय), पैपिलियो क्लाइटिया (सामान्य मिमे), पापिलिओ हेलेनुस (रेड हेलेन), कटोप्सिलिया पोमोना (सामान्य इमिग्रांट), इयरेमा अंडेरसोनी (वन-स्पोट ग्रास यल्लो), लेप्टोसिया निना (पसयचे), केपोरा नाडिना (लेस्सेर गुल्ल), अप्पिस लिबयथेअ (स्ट्रीपेड अलवाटरोस्सा), पारेरोनिया वालेरिया (सामान्य वांडेडेर), डिसकोफोरा लेपिडा (दक्षिण डुफ्फेर), मेलानिटिस जितेनिस (ग्रेट इवेनिंग ब्राउन), लेथे ड्रायपेटिस (तमिल ट्री ब्राउन), माइकालिसिस माइनस (डार्क ब्रांडेड बुश ब्राउन), माइकालिसिस ऑक्यूलस (रेड डिस्क बुश ब्राउन), येथिमा अस्टेरोपे (सामान्य श्री रिंग), येथिमा बालडुस (सामान्य फिवेरिंग), पोलयउरा अगरानिअन (अनोमालुस नवाब), केथोसिया निड्टनेरी (तमिल लाके विंग), फलांटा अलकिप्ये (छोटा तेंदुआ), नेप्टिस हायलास (सामान्य साइलोर), अथयमा नेफटे (कोलोर सेरगेअंट), लिमेनिटीस प्रोकरीस (कोम्मांडेर), इयथालिया लुबेनटिया (गउडय बारोन), अरीअडने मेरीओन (सामान्य कस्टर), जुनोनिया ओरिथया (ब्लू पांसय), जुनोनिया इपहिटा (चोकोलाटे पांसय), डोलेस्चाल्लिअ विसालटीडे (अयतुन्न लैफ), तिरुमाला लिम्निअके (ब्लू बाघ), इयप्लोइया कोरे (सामान्य भारतीय क्रोव), डिस्कोलाम्पा इथीओन (बंडेड ब्लू पिइरॉट), उदारा अकसा (वाइट हेडेड ब्लू), नेओपिथेकोपस जालमोरा (क्याकेर), फ्रीएरिया ट्रिकिलस (ग्रास जेवेल), जमिदेस बाचुस (डार्क केरूलेअन), नकाडुबा हेरमुस (पाले 4-लिने ब्लू), पटरोलाइया डाना (डिंगय लिने ब्लू), स्पिनडासिस वुलकानुस (सामान्य सिलवेर लाइन), स्पिडासिस लोहीटा (लांग बान्डेड सिलवेर लाइन), रथींडा अमोर (बंदर पुज्जाले), हाइपोलेक्सन अथोना (ओरचिड टीट), रपला अइरबुस (भारतीय रेड फ्लास), कुरेटीस थैटीस (भारतीय सन बेअम), हसोरा बाद्रा (सामान्य अवल), सेलेइनीहिनुस अम्बारेसा (मालाबार स्पोट्टेड फ्लाट), टगिअडेस लिटीगीओसा (वाटर स्नो फ्लाट), सारांगेसा पुरेंडा (स्पोट्टेड स्मॉल फ्लाट), पसोलोस फुलिगो (कून), उडास्पेस फोलुस (ग्रास डेमोन), कुपिथा पुरेंआ (वाक्स डार्ट), गंगारा थयरसिस (गिंत रेड इयले), ओरिइंस कूनकिन्ना (तमिल डार्टलेट), पोटाथुस कोनफुकिउस (कोनफुकिअन डार्ट), टेलिकोटा अकिल्ला (डार्क पाल्म डार्ट), वोरबो बेवानी (बेवान स्विफ्ट), पेलोपिदास कोनजुक्टा (कोनजोइनेड स्विफ्ट), कलटोरिस कानाराइका (कनारा स्विफ्ट), आदि अभिलिखित की गई है;

और, शेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) वनस्पति चेरियाडालोडकम (अधतोडा बेडडोमि), अरलिया (अरलिया मालाबारिका), नगारामाराम (बील्सचिमिडिया वाइटी), अरिचोरल (कैलामस ट्रेविनेशिया), पालाअंचेरा (केरोपेगिया डेकिस्नेअना), कोरी (सिनोमेट्रा ट्रावनकोरिया), कट्टुकुडाम्बुल्ली (गरकिनिया गुम्मी-गुट्टा), नाइकाम्बागम (होपेया राकोफलोइया), अमरिथापाला (जानाकिया अरायालपाथेरा), इलिमाराम (मेमेक्यलोन ग्राकिले), बूथामकोल्ली (पोइकिलोनेउरूम पाउकिफलोरूम), वाथाम्कोल्ली माराम, पोरीयाल (सिजयगियम ट्रावनकोरीकुम), आदि की वृहत् विविध का आश्रय प्रदान करता है। जबकि दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आर ई टी) जीवजंतु में मालाबार तवांगु (लोरिस लिडेकेरियनस मालाबारिकस), निलगीरी लंगूर (सेम्नोपिथेकस जोहनी), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस केलारटी), बाघ (पैंथेरा टिगरिस), छोटा भारतीय सिवेट (विवेरीकुला इंडिका), ब्राउन पाल्म सिवेट (पाराडोरूस जेरडोनी केनिस्कस), ग्रे नेवला (हेरपेस्टेस इडवाडिस), स्टिप-नेक्केड नेवला (हेरपेस्टेस विट्टिकोलिस), भारतीय वाइल्ड डॉग (धोले) (कुओन अलपिनेस), रीछ (मेलर्सस अरसिनस), गौर (बोस गौरस), रेड मुनतजक (मुनटीक्स मुनतजक), भारतीय बनैला सूअर (सस स्क्रोफ़ा), पश्चिमी घाट स्ट्रीपेड गिलहरी (फुनाम्बुलुस टरीस्ट्रीअटुस), गार्गनी (अनास क्यूक्यूडुला), पैसिफिक स्विफ्ट (अपुस पाकिफिकस), लेग्गे बाजा (अविकेडा जेरडोनी), ओस्परेय (पांडीओन हलियातुस), ट्रेवनकोर वृहत् गिलहरी (पेटिओम्यस फुस्कोकापिल्लुस जेरडोन), सामान्य हुम्प-नोसेड विट विपेर (हायफनाले हायफनाले), मालाबार भारतीय मेंढक (इंदिराना डिप्लोस्टीकटा), ओरनाटा नेरोव माउथेड मेंढक (मिकारोहयला ओरनाटा), भारतीय मोट्टेड इले (एंगुल्ला बंगालेंसिस), ग्रेट स्लेक हेड (चान्ना मरुलिउस), ओरांगे चरोमिडा (इटरोपुस मकुलाटुस), मोजाम्बिक्यू तिलापिया (ओरेओचरोमिस मोस्सास्विकस), यल्लोव पांसय (जुनोनिया हिइरटा), लॉग ब्रांड बुश ब्राउन (मायकालेसिस विसाला), मालाबार बंडेड स्वाल्लो टैल (पापिलिओ लिओमैडोन), पाल्लिड डार्ट (पोटाथुस पाल्लीडा), मालाबार फ्लास (रापाला लंकाना), निलगिरी फोउरिंग (यसिमा चेतुई), आदि हैं;

और, शेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य में कई स्थानिक पौधों और पशु प्रजातियों का वास है। शेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य में महत्त्वपूर्ण स्थानिक वनस्पति और जीवजंतु में कोरी (कियनोमेटरा ट्रावांकोरिका), चेरूकोरि (कियनोमेटरा बेडुमिड), चेंकुरुनजी (गलुटा ट्रावनकोरिका), इन्नापाय्यीन (किंगिओडेड्रोन पिन्नातुम), मालामारोटी (हायडनोकारपुस माकरोकारपुस), पुथाचिडा (पोगोस्टेमोन पुरपुरास्केंस), पोथांडी (सागेराइया ग्रांडिफ्लोरा), इकानायाकाम, कोरांटीवाल्ली (सालाकिया बेडुमिया), काक्कामुल्लु (काप्पेरिस रूड), वाथाम्कोल्ली माराम, पोरीयाल (सिजैगियम ट्रावैकोरिकम), निलगिरी लंगूर (सेम्नोपिथेकस जोहनी), स्ट्रीपे-नेक्केड नेवला (हेरपेस्टेस विट्टिकोलिस), मालाबार वृहत् गिलहरी (रतुफा इंडिका मैक्सिमा), मालाबार ग्रे हॉर्नबिल (ओक्यकेरोस गरिसेउस), ग्रे-हेडेड बुलबुल (पायकनोनीटस परिआकेफलुस), ब्लैक-ओरेज फ्लाईकैचर (फिकेडुला निगरोरूफा), बेडुम टोड (डुटाफरयनुस बेडुमि), कालाकड वरिंकलेड मेंढक (न्यक्तिवत्राचूस वासांथी), अनील बुश मेंढक (राओरचेस्टेस अनीली), लार्ज पुंसुडी बुश मेंढक (राओरचेस्टेस पोंसुडी), यल्लो काटफिस (होरावागरूस बराचयसोमा), मालाबा लैफिस (परिस्टोलेपिस मारगिनाटा), दक्षिण बर्डविंग (टरोइडेस मिनीस), लेस्सेर अलबाटरोस्सा (अपिअस वारडी), नीलगीरी फोउरिंग (यथिमा चेतुई), मालाबार ट्री नयम्फ (आडिया मालाबारिका), स्पोट्टेड स्मॉल फलाट (सारानगेसा पुरेडरा), इवेरस्टेड अके (थोरेस्सा इवेरसहेडी), कनारा स्विफ्ट (कैलटोरिस कनाराइका), आदि हैं;

और, शेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के कोल्लम जिला के शेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 6.50 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 6.50 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 116.457 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार अभयारण्य की विभिन्न दिशाओं में नीचे दिया गया है:-

दिशा	विस्तार
उत्तर	0.2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर
उत्तर - पूर्व	0 (शून्य)
पूर्व	0 (शून्य)
दक्षिण -पूर्व	0 (शून्य) से 3 किलोमीटर
दक्षिण	1 किलोमीटर से 6.5 किलोमीटर
दक्षिण- पश्चिम	1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर
पश्चिम	0.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर
उत्तर - पश्चिम	0.6 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार उचित ठहराया गया है कि "तमिलनाडु के कालाक्कुड मुन्दान थुराई बाघ रिजर्व और नेल्ललाई वन्यजीव अभयारण्य के साथ अभयारण्य की साझी सीमा का उत्तर-पूर्व, पूर्व और दक्षिण-पूर्व भाग है। जिसमें संरक्षित क्षेत्र अतः इस भाग का पारिस्थितिकी संवेदी जोन शून्य है। उत्तर-पश्चिम भाग में सीमा का छोटा भाग घनी आबादी क्षेत्र और कोल्लम-शेनकोट्टाई रेलवे लाइन है जहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दूरी 20 मीटर तक सीमित है।"

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** की सारणी क और सारणी ख के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख उपाबंध-IIग और उपाबंध-IIघ** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) एलएसजीडी,
- (xii) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
- (xiii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्विधित किया गया हो।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पहले से परिभाषित और नामित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा

पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएँ, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**— ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**— जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.**— सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.**- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.**- (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.**- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाइयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित की जाएंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	विस्फोटक वस्तुओं का विनिर्माण और भंडारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परन्तु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करना अनुज्ञात होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।

17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियम और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
22.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
23.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने को छोड़कर लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
25.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	टोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	टोस अपशिष्ट निपटान स्थल और टोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य जलाए जाने की सुविधा की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
31.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
32.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों को विनियमित और निगरानी सखती।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
33.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर, कोल्लम	पदेन अध्यक्ष;
(ii)	विधान सभा के सदस्य, पुनालूर	सदस्य;
(iii)	जिला पंचायत अध्यक्ष, कोल्लम	सदस्य;
(iv)	केरल सरकार द्वारा नामित प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	केरल राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ, केरल सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जाएगा।	सदस्य;
(vi)	केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
(vii)	वन्यजीव वार्डन, शेन्दुरने	सदस्य- सचिव

6. विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्याधीन होंगे।

[फा. सं. 25/95/2015-ई एसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

क. केरल राज्य में शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण


उत्तर	अभयारण्य का उत्तरी भाग थेनमाल वन संभाग की अर्यनकवु और थेनमाला श्रेणियों के साथ सीमा साझा करता है। इस सीमा में रिया संपदा का कुछ भाग शामिल है।
उत्तर पूर्व	अभयारण्य का उत्तर-पूर्वी भाग थेनमाला रिज़र्व संभाग के साथ तथा तमिलनाडु के नेल्लई वन्यजीव अभयारण्य के साथ अन्तर्राज्यीय सीमा साझा करता है।
पूर्व	अभयारण्य की पूर्वी सीमा तमिलनाडु में कालाक्कड मुंदानथुराई बाघ रिज़र्व के साथ साझी अंतःराज्यीय सीमा है।
दक्षिण-पूर्व	दक्षिण पूर्व भाग तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय संभाग के साथ साझी सीमा है और पूर्व राज्य सीमा की ओर तमिलनाडु के साथ।
दक्षिण	अभयारण्य की दक्षिणी सीमा तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय संभाग के साथ साझा करती है।
दक्षिण- पश्चिम	अभयारण्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में सीमा थेनमाला, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय वन संभाग और रॉकवुड संपदा के साथ है।
पश्चिम	अभयारण्य के पश्चिमी भाग में सीमा थेनमाला और पुनालूर संभागों के साथ है, इस सीमा में कत्तीलापारा का कुछ हिस्सा शामिल है।
उत्तर -पश्चिम:-	अभयारण्य के उत्तर-पश्चिमी भाग की सीमा थेनमाला के साथ है।

ख: केरल राज्य में शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	अभयारण्य के उत्तर भाग की सीमा पर थेनमाला वन संभाग की अर्यनकवू और थेनमाला श्रेणियाँ हैं प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा इस भाग पर शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.02-2.5 किलोमीटर की दूरी में है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा कलथेरी माला (बिंदु-16) से आरंभ होती है और रिया एस्टेट सड़क के थेनमाला संभाग ऑफिस (बिंदु-17) के उत्तरी भाग से होते हुए उत्तर-पूर्व दिशा के साथ जाती है, इसके बाद रिया एस्टेट की उत्तरी सीमा के साथ थेनमाला वन डिपो क्षेत्र जाती है, इसके बाद टिम्बर डिपो (बिंदु 17-18) की पश्चिमी और उत्तरी सीमा के साथ उत्तर-पूर्व दिशा में जाती है और इसके बाद सीमा कोल्लम-थीरूमंगलम एन एच (बिंदु-19-20) के दाएं भाग के साथ कझहथुरुती के उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जाती है, इसके बाद कझहथुरुती ए आर के दक्षिणी तट से होते हुए जाती है और पालारूबी (बिंदु 20-21) के दक्षिण - पश्चिमी तट के साथ पूर्व की ओर जाती है। सीमा इसके बाद छोटी धारा प्रवाह के साथ साथ पूर्व की ओर तमिलनाडु वन प्रारम्भ होने तक जाती है (बिंदु 23)। दक्षिणी सीमा में रिया एस्टेट का कुछ भाग शामिल है। उत्तरी भाग का एक छोटा सा भाग घनी आबादी क्षेत्र और कोल्लम शेनकोट्टाई रेलवे लाइन के साथ है जहां पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 20-400 मीटर तक सीमित है।
उत्तर-पूर्व	अभयारण्य का उत्तर- पूर्व भाग तमिलनाडु में नेल्ललाई वन्यजीव अभयारण्य और कलाक्कड मुंदनथुराई बाघ रिज़र्व (किलोमीटर) के साथ अंतःराज्यीय सीमा साझा करता है, बिंदु 24 (पेरीयनुरुतीमालाई) से बिंदु 23 तक। यह संरक्षित क्षेत्र भाग पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नहीं रखा गया है।
पूर्व	प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा तमिलनाडु में कुछ किलोमीटर अंतःराज्यीय सीमा साझा करती है, जो कि संरक्षित क्षेत्र है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नहीं रखा गया है।
दक्षिण पूर्व	दक्षिण पूर्व सीमा पुनः करूमलाईकडाक्कल (बिंदु-46) किलोमीटर के तमिलनाडु राज्य सीमा से है जो कि संरक्षित क्षेत्र भी है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन नहीं रखा गया और इसके बाद तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय संभाग (कुलाथुप्पुझा श्रेणी) के साथ साझा करती है यहां शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा से 2-3 किलोमीटर की दूरी है, और वेल्लाली ए आर, पोगुमाला ए आर धारा प्रवाह के उत्तर तट के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है।
दक्षिण	तिरुवनंतपुर क्षेत्रीय संभाग थेक्कुमाला खंड- शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा से 1-6.5 किलोमीटर की दूरी है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पोगुमलाई ए आर, (बिंदु1) से आरंभ होती है, इसके बाद थेक्कुमाला ए आर के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है इसके बाद सीमा कुरुकोरट्टी ए आर से कुलथुप्पुझा ए आर (बिंदु 5) तक थेक्कुमाला खंड की दक्षिण-पश्चिम सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है।
दक्षिण -पश्चिम	तिरुवनंतपुर एवं थेनमाला संभाग; पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रस्तावित दक्षिण पश्चिम सीमा अभयारण्य की दक्षिणी -पश्चिम सीमा से 1-3 किलोमीटर होते हुए जाती है। सीमा नेदुवन्नूर कडावु (बिंदु13)के कुलाथुप्पुझा नदी के दाएं तट के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा में जाती है।
पश्चिम	थेनमाला और पुनालूर संभाग, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रस्तावित पश्चिमी सीमा शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा से 0.5-3 किलोमीटर की दूरी में है। यह नेदुवन्नूर काडावु से आरंभ होकर तिरुवनंतपुरम -थेनमाला सड़क (बिंदु-12) के साथ उत्तर की ओर जाती है जिसका विस्तार बिंदु-14 है।
उत्तर-पश्चिम	थेनमाला संभाग, अभयारण्य सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा तक, दूरी श्रेणी 0.6-1.5 है। सीमा बिंदु 14 से 16 तक उत्तर-पश्चिम दिशा के साथ जाती है; थेनमाला सड़क से होते हुए उत्तर-पूर्व दिशा के साथ जाती है, इसके बाद लगभग 150 मीटर बांध पाथेक्कर सड़क के साथ बाएं ओर जाती है इसके बाद इराप्पन ए आर के दाएं तट के साथ बिंदु 16 की ओर जाती है।


उपाबंध- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र




उपाबंध- IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट में मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र




उपाबंध- IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क : शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	अवस्थान	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
1	इट्टापाडाप्पू बीट	77°9' 11.25"	8°56' 20.45"
2	इट्टापाडाप्पू बीट	77°10' 49.89"	8°55' 46.69"
3	इट्टापाडाप्पू बीट	77°11' 36.37"	8°55' 33.35"
4	इट्टापाडाप्पू बीट	77°13' 9.1"	8°54' 59.97"
5	इट्टापाडाप्पू बीट	77°13' 25.46"	8°54' 5.69"
6	इट्टापाडाप्पू बीट	77°14' 28.6"	8°53' 34.51"
7	इट्टापाडाप्पू बीट	77°15' 23.91"	8°52' 38.96"
8	इट्टापाडाप्पू बीट	77°15' 32.7"	8°51' 47.67"
9	इट्टापाडाप्पू बीट	77°15' 43.38"	8°51' 18.85"
10	इट्टापाडाप्पू बीट	77°15' 35.15"	8°51' 5.6"
11	इट्टापाडाप्पू बीट	77°15' 47.94"	8°50' 28.99"
12	कलमककुन्नु बीट	77°5' 57.05"	8°58' 2.03"
13	कलमककुन्नु बीट	77°6' 8.4"	8°57' 34.99"
14	कलमककुन्नु बीट	77°7' 13.02"	8°56' 50.32"
15	कलमककुन्नु बीट	77°7' 46.34"	8°56' 42.87"
16	कलमककुन्नु बीट	77°4' 44.26"	8°56' 52.47"
17	कलमककुन्नु बीट	77°4' 32.56"	8°56' 55"
18	कलमककुन्नु बीट	77°4' 15.46"	8°57' 8.18"
19	कलमककुन्नु बीट	77°4' 25.13"	8°57' 12.78"
20	कलमककुन्नु बीट	77°4' 9.34"	8°57' 48.09"
21	कलमककुन्नु बीट	77°4' 28.92"	8°57' 48.97"
22	कलमककुन्नु बीट	77°4' 47.72"	8°57' 33.54"
23	कलमककुन्नु बीट	77°5' 21.8"	8°57' 26.36"
24	कलमककुन्नु बीट	77°5' 36.27"	8°57' 55.32"
25	कल्लुवाराम्बु बीट	77°15' 7.84"	8°49' 31.28"
26	कल्लुवाराम्बु बीट	77°14' 56.47"	8°48' 55.38"
27	कल्लुवाराम्बु बीट	77°14' 12.11"	8°48' 22.3"
28	कल्लुवाराम्बु बीट	77°12' 58.61"	8°49' 6.73"
29	कल्लुवाराम्बु बीट	77°12' 38.13"	8°49' 45.66"
30	कल्लुवाराम्बु बीट	77°12' 7.12"	8°49' 52.38"
31	कल्लुवाराम्बु बीट	77°11' 28.31"	8°49' 38.13"
32	कल्लुवाराम्बु बीट	77°10' 35.68"	8°50' 11.97"

33	कल्लुवाराम्बु बीट	77°10' 14.35"	8°51' 7.32"
34	कल्लुवाराम्बु बीट	77°9' 41.69"	8°51' 45.25"
35	कल्लुवाराम्बु बीट	77°8' 38.15"	8°51' 57.82"
36	कल्लुवाराम्बु बीट	77°8' 19.93"	8°51' 33.15"
37	कल्लुवाराम्बु बीट	77°7' 33.57"	8°51' 51.63"
38	कल्लुवाराम्बु बीट	77°6' 20.53"	8°52' 25.58"
39	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 40.67"	8°53' 11.15"
40	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 33.02"	8°53' 52.33"
41	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 37.29"	8°53' 48.92"
42	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 9.36"	8°54' 41.25"
43	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 39.22"	8°54' 24.7"
44	कल्लुवाराम्बु बीट	77°6' 12.33"	8°53' 53.96"
45	कल्लुवाराम्बु बीट	77°6' 10.27"	8°54' 19.19"
46	कल्लुवाराम्बु बीट	77°6' 45.74"	8°54' 1.73"
47	कल्लुवाराम्बु बीट	77°7' 12.75"	8°54' 7.15"
48	कल्लुवाराम्बु बीट	77°6' 38.46"	8°54' 25.72"
49	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 58.15"	8°54' 29.64"
50	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 51.46"	8°54' 49.19"
51	कल्लुवाराम्बु बीट	77°6' 23.02"	8°55' 8.66"
52	कल्लुवाराम्बु बीट	77°6' 36.44"	8°55' 13.01"
53	कल्लुवाराम्बु बीट	77°6' 19.82"	8°55' 12.48"
54	कल्लुवाराम्बु बीट	77°6' 15.79"	8°55' 19.44"
55	कल्लुवाराम्बु बीट	77°6' 11.93"	8°55' 32.9"
56	कल्लुवाराम्बु बीट	77°6' 1.28"	8°55' 34.76"
57	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 44.16"	8°55' 38.97"
58	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 44.02"	8°55' 52.3"
59	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 36.16"	8°55' 50.21"
60	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 31.58"	8°55' 27.11"
61	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 28.31"	8°55' 22.49"
62	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 10.82"	8°55' 37.55"
63	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 25.6"	8°55' 54.65"
64	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 17.85"	8°55' 59.67"
65	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 13.39"	8°56' 2.81"
66	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 10.45"	8°56' 12.21"
67	कल्लुवाराम्बु बीट	77°5' 0.49"	8°56' 8.76"

68	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 57.39"	8°56' 16.22"
69	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 57.17"	8°56' 28.94"
70	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 50.18"	8°56' 21.92"
71	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 43.13"	8°56' 15.51"
72	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 34"	8°56' 19.09"
73	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 36.24"	8°56' 11.94"
74	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 20.74"	8°56' 5.24"
75	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 21.06"	8°55' 58.77"
76	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 14.37"	8°56' 0.19"
77	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 4.15"	8°56' 6.23"
78	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 12.56"	8°56' 10.93"
79	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 19.24"	8°56' 22.84"
80	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 2.72"	8°56' 16.99"
81	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 12.59"	8°56' 30.5"
82	कल्लुवाराम्बु बीट	77°3' 55.67"	8°56' 41.75"
83	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 10.65"	8°56' 48.28"
84	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 21.2"	8°56' 30.76"
85	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 39.5"	8°56' 28.98"
86	कल्लुवाराम्बु बीट	77°4' 34.33"	8°56' 45.46"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	बिंदु आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	1	उ 8° 46' 41.28"	पू 77° 13' 16.99"
2	2	उ 8° 47' 1.52"	पू 77° 11' 47.51"
3	3	उ 8° 47' 44.53"	पू 77° 9' 7.03"
4	4	उ 8° 48' 24.11"	पू 77° 7' 41.64"
5	5	उ 8° 49' 21.14"	पू 77° 7' 0.77"
6	6	उ 8° 50' 42.23"	पू 77° 6' 36.79"
7	7	उ 8° 51' 27.02"	पू 77° 6' 56.01"
8	8	उ 8° 52' 12.53"	पू 77° 5' 28.29"
9	9	उ 8° 53' 22.29"	पू 77° 3' 57.32"
10	10	उ 8° 53' 33.71"	पू 77° 4' 7.92"
11	11	उ 8° 54' 0.79"	पू 77° 3' 49.55"
12	12	उ 8° 54' 1.60"	पू 77° 3' 32.38"
13	13	उ 8° 55' 32.00"	पू 77° 3' 56.37"

14	14	उ 8° 56' 7.17"	पू 77° 3' 5.13"
15	15	उ 8° 57' 6.22"	पू 77° 3' 43.34"
16	16	उ 8° 58' 2.37"	पू 77° 3' 30.28"
17	17	उ 8° 57' 54.44"	पू 77° 4' 13.6"
18	18	उ 8° 57' 30.00"	पू 77° 5' 20.32"
19	19	उ 8° 58' 6.65"	पू 77° 6' 9.09"
20	20	उ 8° 57' 40.50"	पू 77° 8' 38.78"
21	21	उ 8° 56' 7.35"	पू 77° 10' 21.26"
22	22	उ 8° 56' 35.89"	पू 77° 10' 48.5"
23	23	उ 8° 56' 7.13"	पू 77° 11' 52.17"
24	24	उ 8° 55' 33.28"	पू 77° 11' 36.34"
25	46	उ 8° 48' 22.53"	पू 77° 13' 59.15"
26	47	उ 8° 51' 53.11"	पू 77° 10' 41.25"
27	48	उ 8° 52' 21.78"	पू 77° 10' 7.04"
28	49	उ 8° 52' 29.18"	पू 77° 9' 7.97"
29	50	उ 8° 52' 28.08"	पू 77° 7' 19.69"
30	51	उ 8° 53' 4.81"	पू 77° 7' 25.73"
31	52	उ 8° 53' 26.20"	पू 77° 8' 43.3"
32	53	उ 8° 54' 29.96"	पू 77° 10' 32.28"
33	54	उ 8° 55' 2.65"	पू 77° 10' 4.53"
34	55	उ 8° 55' 43.56"	पू 77° 10' 37.01"
35	56	उ 8° 54' 41.89"	पू 77° 11' 7.85"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांको के साथ शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम नाम	ग्राम का प्रकार	तालुक	जिला	अक्षांश	देशांतर
1	अर्यानकवू	राजस्व	पूनालूर	कोल्लम	8° 58' 0" उ	77° 8' 35" पू
2	थेनमाला	राजस्व	पूनालूर	कोल्लम	8° 57' 0" उ	77° 4' 0" पू
3	कुलथुपुझा	राजस्व	पूनालूर	कोल्लम	8° 54' 29.63" उ	77° 3' 19.81" पू

शेन्दुरने वन्यजीव अभयारण्य सभी भागों में संलग्न अर्थात् रोजमाला, कट्टीलापारा और संपदा अर्थात् कल्लार और थेनगीन थोपु से घिरा हुआ है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शामिल है।

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट वृत्तियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2020

S.O. 2939(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 65 (E), dated 7th January, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Shendurney Wildlife Sanctuary spread over an area of 172.403 square kilometres situated in Punalur Taluk (formerly Pathanapuram Taluk) of Kollam District in the State of Kerala. The Sanctuary is part of core area of the Agasthayamalai Biosphere Reserve and also a part of Periyar Elephant Reserve in the Kerala State. The Shendurney Wildlife Sanctuary was notified vide GO. (P) 258/84/AD dated 25th August, 1984. The Sanctuary is named after the locally-named 'Chenkurinji' tree which is endemic to this tract, which falls in Kulathupuzha Reserved Forests;

AND WHEREAS, Shendurney Wildlife Sanctuary falls under the beautiful hills and valleys of the southern Western Ghats. The Sanctuary is home to a rich and diverse range of living organisms. The tropical climate complimented by heavy rainfall from two monsoons and favourable edaphic factors creates an ideal condition for the flourishing growth of plant life. The importance of Shendurney Wildlife Sanctuary is confirmed in its biodiversity richness, economic benefits, culture, watershed and catchment, human ecology, aesthetic significance and potential for scientific studies and environmental education, etc. In this context, forests of Shendurney Wildlife Sanctuary assume importance for conservation;

AND WHEREAS, the angiosperm species identified from Shendurney Wildlife Sanctuary consist of about 1257 species of flowering plants belonging to more than 125 families are reported from this sanctuary of which 309 species are endemic to Western Ghats, its represents nearly 28% of the total

flowering plants estimated from Kerala. Major flora available in the Sanctuary are vathakkolli (*Naravelia zeylanica*), kattupunna (*Dillenia bracteata*), kodavazha (*Cyathocalyx zeylanicus*), woolly-fruit miliusa (*Miliusa eriocarpa*), manjara (*Mitrephora grandiflora*), cherunedunar (*Polyalthia cerasoides*), gua koli (*Polyalthia suberosa*), ilapongu (*Xylopia parvifolia*), maramanjil, marathi, manjavalli (*Coscinium fenestratum*), mahalikizhangu, malathangi (*Stephania wightii*), charalpazham (*Flacourtia montana*), marotti (*Hydnocarpus pentandra*), madakka (*Xanthophyllum arnotianum*), kattupunna (*Calophyllum polyanthum*), pura (*Garcinia rubro-echinata*), nanku (*Mesua ferrea*), eeyakam (*Hopea erosa*), vellappayin (*Vateria indica*), anicham, kalapoo, mullilavu (*Bombax ceibaL*), edampiri valampiri (*Helicteres isora*), pambaram (*Pterospermum diversifolium*), kavalam, peenari (*Sterculia guttata*), narutha (*Grewia serrulata*), bhasmavalli, kokkivalli (*Grewia umbellifera*), kara (*Elaeocarpus variabilis*), thamarai (*Eleocarpus venustus*), chittilakody, machinga, oonapoovu (*Impatiens chinensis*), kattunarakam (*Atalantia racemosa*), chuvannakil, nilanaragam, nilanarai (*Naregamia alata*), kanchimaram (*Walsura trifolia*), kalmanikyam, kalkadambu (*Strombosia ceylanica*), karuvali (*Pleurostyliya opposita*), eakanayakam, ponkarandi (*Salacia fruticosa*), juli, kottamullu marali, alunkmaram (*Turpinia malabarica*), mukkanaperuku, siruvalli (*Allophylus serratus*), puzhukkolli, chittilamadakku (*Harpullia arborea*), padappan (*Ellipanthus tomentosus*), american joint vetch (*Aeschynomene americana*), orila, pulladi (*Desmodium gangeticum*), adakkapaanal, adakkachokki (*Desmodium triquetrum*), malamanjadi (*Ormosia travancorica*), thotta-payar (*Pueraria phaseoloides*), arampuli (*Bauhinia malabarica*), chingamullu, drathubanam, kalthottavadi (*Caesalpinia mimosoides*), kulavu (*Kingiodendron pinnatum*), pottavaka, ponthanvaka (*Albizia chinensis*), ahakkatlo, kakkavalli (*Entada rhedii*), irattani, attanaripongu (*Prunus ceylanica*), theeppullu, akara-puda (*Drosera indica*), pullanji (*Calycopteris floribunda*), thanni (*Terminalia bellirica*), malamchamba (*Syzygium munronii*), pezhu (*Careya arborea*), kadali (*Melastoma malabathricum*), manimaruthu (*Lagerstroemia reginae*), neerkarayambu (*Ludwigia perennis*), kasappuchedi, mukkalppeeram (*Mukia maderaspatana*), kalthamara (*Begonia floccifera*), karimutthil, karinkudungal (*Geophila repens*), chethi (*Ixora alba*), poochakadambu, neerkadambu (*Mitragyna parvifolia*), kattappa (*Ageratum conyzoides*), assam pacha, communist-pacha (*Chromolaena odorata*), kaithonni, kaiyan-takara (*Eclipta prostrata*), (*Gynura lycopersicifolia*), karana, thembu (*Vernonia travancorica*), muttamaram (*Ardisia pauciflora*), karimaram (*Diospyros sylvatica*), malankuruvi (*Symplocos macrophylla*), pinkan (*Ligustrum perrotteetii*), ezhilam pala (*Alstonia scholaris*), appuppanthadi (*Chonemorpha fragrans*), palvalli (*Ichnocarpus frutescens*), amalpori (*Rauvolfia verticillata*), ayyappala, mylampala (*Wrightia arborea*), narunandi, naruneendi (*Hemidesmus indicus*), ellodiyani (*Hoya wightii*), kanjiram (*Strychnos nux-vomica*), cherutali, thiruthali (*Ipomoea obscura*), kolavaravalli, koravalli (*Merremia umbellata*), poopathiri (*Stereospermum colais*), elumbotti (*Blepharis maderaspatensis*), vattapparuvallam, peruku (*Clerodendrum infortunatum*), arambodal, njarambodal (*Sphenodesme paniculata*), thazhuthama (*Boerhavia diffusa*), eshwaramulla, garudakkodi (*Aristolochia indica*), attanari, panniperuvelam (*Lepianthes umbellata*), kurumulak (*Piper longum*), chorappayin (*Knema attenuata*), eyoli, malavirinji (*Actinodaphne bourdillonii*), attuvayana (*Cinnamomum riparium*), asharippuli (*Antidesma acidum*), thathalamaram (*Antidesma zeylanicum*), mulluvenga (*Bridelia airy-shawii*), kaduvapidukkan (*Drypetes confertiflora*), attuvattappala, nilappala (*Euphorbia hirta*), vatta, uppila (*Macaranga peltata*), kurungumanjal (*Mallotus philippensis*), njandumutta, kattunochi (*Debregeasia velutina*), gunpowder plant (*Pilea microphylla*), plavu (*Artocarpus heterophyllus*), kallarayal (*Ficus arnotiana*), chela (*Ficus drupacea*), kallithi (*Ficus microcarpa*), nilathamara (*Nervilia plicata*), aanakoova, malavayambu (*Costus speciosus*), kattuvazha (*Musa acuminata*), kanjirakizhangu, purakilangu, narukizhangu (*Dioscorea wallichii*), creeping dayflower (*Commelina diffusa*), kalani (*Cyanotis pilosa*), chooral (*Calamus pseudotenuis.*), kanakamugu, kattukuamugu (*Pinanga dicksonii*), elitthadi, aanachurukki (*Rhaphidophora pertusa*), cherukorappullu (*Carex baccans*), karmmaram, mula (*Bambusa bambos*), snehapullu, asthrapullu (*Chrysopogon aciculatus*), varagu, kattarakku (*Paspalum scrobiculatum*), itchgrass (*Rottboellia cochinchinensis*), etc;

AND WHEREAS, major mammals available in the Shendurney Wildlife Sanctuary are *Macaca radiata diluta* (bonnet macaque), *Macaca silenus* (lion-tailed macaque), *Panthera pardus* (leopard), *Prionailurus bengalensis* (leopard cat), *Paradoxurus hemaphrodites* (common palm civet), *Martes gwatkinsii* (Nilgiri marten), *Herpestes smithii* (ruddy mongoose), *Herpestes fuscus* (brown mongoose), *Lutrogale perspicillata* (smooth-coated otter), *Elephas maximus* (Asian elephant), *Rusa unicolor* (sambar deer), *Moschiola indica* (Indian chevrotain), *Manis crassicaudata* (Indian pangolin), *Funambulus palmarum* (three-striped palm squirrel), *Funambulus sublineatus* (dusky-striped squirrel), *Petaurista philippensis* (Indian giant flying squirrel), *Bandicota indica* (large bandicoot rat), *Hystrix indica* (Indian crested porcupine), *Rousettus leschenaultii* (fulvous fruit bat), *Megaderma lyra* (greater false vampire), *Rhinolophus rouxii* (Rufous horseshoe bat), *Scotophilus heathii* (Asiatic greater yellow house bat), *Rhinolophus beddomei* (lesser woolly horseshoe bat), *Tadarida aegyptiaca* (Egyptian free-tailed bat), etc;

AND WHEREAS, the avifauna of the Shendurney Wildlife Sanctuary includes residents and migratory birds. As many as 267 different species of birds were recorded during the periodic bird's survey conducting in Shendurney Wildlife Sanctuary. This includes *Galloperdix spadicea* (red spur fowl), *Picumnus innominatus* (speckled piculet), *Dryocopus javensis* (great black woodpecker), *Dinopium benghalense* (lesser golden backed woodpecker), *Alcedo atthis* (common kingfisher), *Halcyon pileata* (black capped kingfisher), *Merops philippinus* (blue tailed bee-eater), *Hierococyx sparverioides* (large hawk cuckoo), *Surniculus lugubris* (drongo cuckoo), *Centropus sinensis* (crow pheasant), *Psittacula cynocephala* (blossom headed parakeet), *Hirundapus giganteus* (large brown throated spinetail swift), *Apus affinis* (house swift), *Bubo nipalensis* (forest eagle owl), *Glaucidium radiatum* (barred jungle owlet), *Eurostopodus macrotis* (great eared nightjar), *Caprimulgus affinis* (franklins nightjar), *Chalcophaps indica* (emerald dove), *Ducula aenea* (green imperial pigeon), *Porzana fusca* (ruddy crane), *Tringa hypoleucos* (common sandpiper), *Larus ridibundus* (black headed gull), *Chlidonias hybridus* (whiskered tern), *Pernis ptilorhynchus* (crested honey buzzard), *Ichthyophaga humilis* (lesser fish eagle), *Circus pygargus* (Montagu's harrier), *Ictinaetus malayensis* (black eagle), *Aquila vindhiane* (tawny eagle), *Falco jugger* (laggar falcon), *Phalacrocorax niger* (little cormorant), *Ardea cinerea* (grey heron), *Ardeola grayii* (pond heron), *Ixobrychus cinnamomeus* (chestnut bittern), *Pitta brachyura* (Indian pitta), *Chloropsis aurifrons* (gold fronted chloropsis), *Dendrocitta leucogastra* (southern treepie), *Oriolus oriolus* (golden oriole), *Coracina melanoptera* (black headed cuckoo shrike), *Dicrurus adsimilis* (black drongo), *Dicrurus paradiseus* (greater racket tailed drongo), *Tephrodornis virgatus* (malabar wood shrike), *Myiophonus horsfieldii* (malabar whistling thrush), *Turdus merula nigropileus* (black capped blackbird), *Muscicapa ruficauda* (rufous tailed flycatcher), *Eumyias albicaudata* (nilgiri flycatcher), *Luscinia brunnea* (blue chat), *Sturnus malabaricus blythii* (blyth's myna), *Gracula religiosa* (hill myna), *Hirundo concolor* (dusky crag martin), *Hirundo fluvicola* (Indian cliff swallow), *Pycnonotus cafer* (red vented bulbul), *Cisticola juncidis* (streaked fantail warbler), *Zosterops palpebrosa* (white eye), *Acrocephalus stentoreus* (Indian great reed warbler), *Phylloscopus trochiloides* (greenish leaf warbler), *Garrulax jerdoni fairbanki* (white breasted laughing thrush), *Dumetia hyperythra* (tawny bellied babbler), *Dicaeum agile* (thick billed flower pecker), *Nectarinia minima* (small sunbird), *Motacilla flvabeema* (blue headed yellow wagtail), etc;

AND WHEREAS, the Shendurney Wildlife Sanctuary has several species of amphibians, reptiles, butterflies. The major species recorded during annual surveys are *Chamaeleo zeylanicus* (Indian chameleon), *Calotes elliotii* (Elliot's forest lizard), *Hemidactylus brookii* (brook's house gecko), *Mabuya carinata* (golden skink), *Ristella beddomii* (edomme's cat skink), *Brachiophidium rhodogaster* (shield tail snake sp), *Boiga trigonata* (common cat snake), *Xenochrophis piscator* (Asiatic water snake), *Hypnale hypnale* (pit viper), *Gegeneophis ramaswami* (ramaswami's caecilian), *Duttaphrynus beddomii* (beddome's toad), *Melanobatrachus indicus* (Indian black frog), *Euphlyctis cyanophlyctis* (skittering frog), *Indirana beddomii* (beddome's leaping frog), *Micrixalus sp* (torrent frog), *Nyctibatrachus minor* (kerala night frog), *Raorchestes anili* (anil's bush frog), *Raorchestes chotta* (small bush frog), *Raorchestes ponmudi* (large ponmudi bush frog), *Raorchestes ochlandrae* (ochlandra reed frog), *Polypedates pseudocruciger* (false hourglass tree frog), *Nasikabatrachus sahyadrensis* (Indian purple frog), *Channa marulius* (great snake head), *Devario aequipinnatus* (giant danio), *Hypsibarbus kolus* (shooting barb), *Puntius jerdoni* (jerdon's carp), *Mastacembelus armatus* (spiny eel), *Pachliopta pandiyana* (malabar rose), *Graphium doson* (common jay), *Papilio clytia* (common mime), *Papilio helenus* (red helen), *Catopsilia pomona* (common emigrant), *Eurema andersonii* (one-spot grass yellow), *Leptosia nina* (psyche), *Cepora nadina* (lesser gull), *Appias libythea* (striped albatross), *Pareronia valeria* (common wanderer), *Discophora lepida* (southern duffer), *Melanitis zitenius* (great evening brown), *Lethe drypetis* (tamil tree brown), *Mycalesis mineus* (dark branded bush brown), *Mycalesis oculus* (red disk bush brown), *Ypthima asterope* (common three ring), *Ypthima baldus* (common fivering), *Polyura agrarian* (anomalous nawab), *Cethosia nietneri* (tamil lace wing), *Phalanta alcippe* (small leopard), *Neptis hylas* (common sailor), *Athyma nefte* (color sergeant), *Limenitis procris* (commander), *Euthalia lubentina* (gaudy baron), *Ariadne merione* (common castor), *Junonia orithya* (blue pansy), *Junonia iphita* (chocolate pansy), *Doleschallia bisaltide* (autumn leaf), *Tirumala limniace* (blue tiger), *Euploea core* (common Indian crow), *Discolampa ethion* (banded blue pierrot), *Udara akasa* (white hedge blue), *Neopithecops zalmora* (quaker), *Freyeria trochylus* (grass jewel), *Jamides bochus* (dark cerulean), *Nacaduba hermus* (pale 4-line blue), *Petrolaea dana* (dingy line blue), *Spindasis vulcanus* (common silver line), *Spindasis lohita* (long banded silver line), *Rathinda amor* (monkey puzzle), *Hypolycaena othona* (orchid tit), *Rapala airbus* (Indian red flash), *Curetis thetis* (Indian sun beam), *Hasora badra* (common awl), *Celaenorrhinus ambareesa* (malabar spotted flat), *Tagiades litigiosa* (water snow flat), *Sarangesa purendra* (spotted small flat), *Psolos fuligo* (coon), *Udaspes folus* (grass demon), *Cupitha purreea* (wax dart), *Gangara thyrasis* (giant red eye), *Oriens concinna* (tamil dartlet), *Potanthus confucius* (confucian dart), *Telicota ancilla* (dark palm dart), *Borbo bevanii* (bevan's swift), *Pelopidas conjuncta* (conjoined swift), *Caltoris canaraica* (kanara swift), etc;

AND WHEREAS, the Shendurney Wildlife Sanctuary supports a wide variety of rare, endangered and threatened (RET) flora are Cheriyaadalodakam (*Adhatoda beddomei*), aralia (*Aralia malabarica*), nagaramaram (*Beilschmidia wightii*), arichooral (*Calamus travancoricus*), palaancheera (*Ceropegia decalissneana*), koori (*Cynometra travancorica*), kattukudambulli (*Garcinia gummi-gutta*), naikambagam (*Hopea racophloea*), amrithapala (*Janakia arayalpathra*), elimaram (*Memecylon gracile*), bhoothamkolli (*Poeciloneuron pauciflorum*), vathamkolli maram, poriyal (*Syzygium travancoricum*), etc. While rare, endangered and threatened (RET) fauna are Malabar slender loris (*Loris lydekkerianus malabaricus*), Nilgiri langur (*Semnopithecus johnii*), jungle cat (*Felis chaus kelaarti*), tiger (*Panthera tigris*), small Indian civet (*Viverricula indica*), brown palm civet (*Paradoxurus jerdoni caniscus*), grey mongoose (*Herpestes edwardsii*), stripe-necked mongoose (*Herpestes vitticollis*), Indian wild dog (dhole) (*Cuon alpinus*), sloth bear (*Melursus ursinus*), gaur (*Bos gaurus*), red muntjak (*Muntiacus muntjak*), Indian wild boar (*Sus scrofa*), western ghats striped squirrel (*Funambulus tristriatus*), garganey (*Anas querquedula*), Pacific swift (*Apus pacificus*), Legge's baza (*Aviceda jerdoni*), osprey (*Pandion haliaetus*), travancore flying squirrel (*Petinomys fuscocapillus Jerdon*), common hump-nosed pit viper (*Hypnale hypnale*), Malabar Indian frog (*Indirana diplosticta*), ornate narrow mouthed frog (*Microhyla ornata*), Indian mottled eel (*Anguilla bengalensis*), great snake head (*Channa marulius*), orange chromide (*Etroplus maculatus*), Mozambique tilapia (*Oreochromis mossambicus*), yellow pansy (*Junonia hierta*), long brand bush brown (*Mycalesis visala*), Malabar banded swallow tail (*Papilio liomedon*), pallid dart (*Potanthus pallida*), Malabar flash (*Rapala lankana*), Nilgiri fourring (*Ypthima chenui*), etc;

AND WHEREAS, Shendurney Wildlife Sanctuary is home to several endemic plants and animal species. Important endemic flora and fauna in Shendurney Wildlife Sanctuary are koori (*Cynometra travancorica*), chenkurunji (*Gluta travancorica*), ennapayyin (*Kingiodendron pinnatum*), malamarotti (*Hydnocarpus macrocarpus*), Poothachida (*Pogostemon purpurascens*), pothandi (*Sageraea grandiflora*), ekanayakam, korantivalli (*Salacia beddomei*), kakkamullu (*Capparis rheedii*), vathamkolli maram, poriyal (*Syzygium travancoricum*), Nilgiri langur (*Semnopithecus johnii*), stripe-necked mongoose (*Herpestes vitticollis*), Malabar giant squirrel (*Ratufa indica maxima*), Malabar grey hornbill (*Ocyrceros griseus*), grey-headed bulbul (*Pycnonotus priocephalus*), black-and-orange flycatcher (*Ficedula nigrorufa*), beddome's toad (*Duttaphrynus beddomii*), kalakad wrinkled frog (*Nyctibatrachus vasanthi*), Anil's bush frog (*Raorchestes anili*), large ponmudi bush frog (*Raorchestes ponmudi*), yellow catfish (*Horabagrus brachysoma*), Malabar leaffish (*Pristolepis marginata*), southern birdwing (*Troides minos*), lesser albatross (*Appias wardii*), Nilgiri fourring (*Ypthima chenui*), Malabar tree nymph (*Idea malabarica*), spotted small flat (*Sarangesa purendra*), evershed's ace (*Thoressa evershedii*), kanara swift (*Caltoris canaraica*), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Shendurney Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 6.50 kilometres around the boundary of Shendurney Wildlife Sanctuary, in Kollam District in the State of Kerala as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 6.50 kilometres around the boundary of Shendurney Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is **116.457 square kilometres**. The extents of Eco-sensitive Zone at various direction of the Sanctuary are given as:

Direction	Extents
North	0.2 Kilometers to 2.5 Kilometers
North- East	0 (zero)
East	0 (zero)
South East	0 (zero) to 3 Kilometers
South	1 Kilometers to 6.5 Kilometers
South -West	1 Kilometers to 3 Kilometers
West	0.5 Kilometers to 3 Kilometers
North-West	0.6 Kilometers to 1.5 Kilometers

Zero extent of Eco-sensitive Zone was justified by as “ *The north-east, east and south-east side of the Sanctuary shared boundary with the Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve and Nellai Wildlife Sanctuary of Tamil Nadu which being Protected Area so this side taken as Zero Eco-sensitive Zone. A little portion of the boundary in north-west side is densely populated area and Kollam-Shenkottai railway line where the distance of the Eco-sensitive Zone is limited to 20 meters*”.

- (2) The boundary description of Shendurney Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in Table A and Table B of **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Shendurney Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID**.
 - (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Shendurney Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III**.
 - (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Kerala State Pollution Control Board; and
 - (xii) Public Works Department.
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
 - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
 - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
 - (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or Eco-tourism.**— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and

resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
 - (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
 - (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
 - (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
 - (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
 - (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
 - (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
 - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
 - (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
 - (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the

Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood,	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
10.	Manufacturing and storage of explosive items.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio-medical waste.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
40.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
41.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Kollam	Chairman, ex officio
(ii)	Member of Legislative Assembly, Punalur	Member;
(iii)	District Panchayath President, Kollam	Member;
(iv)	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala	Member;
(v)	One expert in ecology and environment from reputed Institution or University in the State of Kerala to be nominated by Government of Kerala for a term of one year in each case.	Member;
(vi)	Kerala State Biodiversity Board	Member;
(vii)	Wildlife Warden, Shendurney	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/95/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I**A. BOUNDARY DESCRIPTION OF SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE
KERALA**

North	North side of Sanctuary has boundary with Aryankavu and Thenmala ranges of Thenmala Forest Division, this boundary includes a portion of the Riya estate.
North- East	North-East side of the Sanctuary is shared boundary with Thenmala Forest Division and interstate boundary with Nellai Wildlife Sanctuary in Tamil Nadu.
East	The Eastern boundary of the Sanctuary shared Inter-state boundary with Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve in Tamil Nadu.
South East	The South-East Side share boundary with Thiruvananthapuram Territorial division and towards east state boundary with Tamil Nadu.
South	The Southern boundary of the Sanctuary shared with Thiruvananthapuram Territorial Division.
South -West	The South-West side of the Sanctuary have boundary with Thenmala, Thiruvananthapuram Territorial forest division and Rockwood estate.
West	The West side of Sanctuary have boundary with Thenmala and Punalur divisions, this boundary includes the Kattilapara enclosure.
North-West	The North-West side of the Sanctuary have boundary with Thenmala.

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE KERALA

North	North side of the Sanctuary have boundary with Aryankavu and Thenmala Ranges of Thenmala Forest Division – The proposed Eco-sensitive Zone boundary on this side is a distance of 0.02 -2.5 Kilometres from the boundary of SWLS. The Eco-sensitive Zone boundary starts from Kalthery mala (Point- 16) and proceeded along north-east direction through the northern side of Thenmala division office (Point- 17) to Riya estate road then go to the Thenmala forest depot area along the north boundary of Riya estate then proceed towards north-east direction along the west and northern boundary of Timber depot (Point-17-18) and thence the boundary proceeds towards the north-east direction up to Kazhuthuruti along the right side of Kollam-Thirumangalam NH, (Point-19-20) Thence pass along the southern bank of Kazhuthuruty Ar and proceed towards east along the south-west bank of Palaruvi (Point-20-21). The boundary then proceeds towards east along small streams till it reach the Tamil Nadu Forests starts (point 23). The southern boundary includes a portion of the Riya estate. A little portion of the northern side with densely populated area and Kollam – Shenkottai railway line where the extent of the Eco-sensitive Zone limited to 20-400 metres.
North- East	North-East side of the Sanctuary is shared an interstate boundary with Nellai WLS and Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve (Kilometers) in Tamil Nadu, from point 24 (Periyanurutimalai) to point 23. This protected area side not taken as Eco-sensitive Zone.
East	The Eastern boundary of the proposed Eco-sensitive Zone shared an interstate boundary with Kilometers in Tamil Nadu, which is a PA and not taken as Eco-sensitive Zone.
South East	The South-East boundary continues from Tamil Nadu state boundary up to Karumalaikadackal (point-46) Kilometers, which is also a PA and not taken as Eco-sensitive Zone and then share with Thiruvananthapuram Territorial division (Kulathuppuzha range), there have a distance of 2-3 Kilometres from the Southern boundary of the Shendurney Wildlife Sanctuary, and towards the west direction along the north bank of streams Vellali Ar, Pongumala Ar.
South	Thiruvananthapuram Territorial Division Thekkumala section – at a distance of 1-6.5 Kilometres, from the Southern boundary of the Shendurney Wildlife Sanctuary. The boundary of Eco-sensitive Zone starts from Pongumalai Ar (point-1) then towards west direction along Thekkumala Ar then where the boundary moves towards north direction along the south-west boundary of Thekkumala section then to Kurukoratti Ar to Kulathuppuzha Ar (point.5).
South -West	Thiruvananthapuram & Thenmala Divisions; The proposed south west boundary of Eco-sensitive Zone is 1-3 Kilometres away from the South-West boundary of the Sanctuary. The boundary runs north-west direction along the right bank of the Kulathuppuzha River up to Neduvannur Kadavu (point-13).
West	Thenmala and Punalur Divisions; The proposed western boundary of Eco-sensitive Zone is at a distance of 0.5-3 Kilometres from the Western boundary of the Shendurney Wildlife Sanctuary. It starts from Neduvannurkadavu runs towards North along Thiruvananthapuram-Thenmala road (Point-12) which extent to Point-14.
North-West	Thenmala Divisions; Mean distance range of 0.6-1.5, from the Sanctuary boundary to Eco-sensitive Zone boundary. The boundary runs north-west direction from point 14 to 16; proceeded along north-east direction through Kulathuppuzha-Thenmala road upto Thenmala Dam junction then sharp left along Dam- Pathekkar Road about 150 mtr then towards the point 16 along the right bank of Erappan Ar.


ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS IN SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET




ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



**LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SHENDURNEY WILDLIFE SANCTUARY
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



ANNEXURE-III

**TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SHENDURNEY
WILDLIFE SANCTUARY**

Sl. No	Location	Longitude (E)	Latitude (N)
1	Ettapadappu Beat	77°9' 11.25"	8°56' 20.45"
2	Ettapadappu Beat	77°10' 49.89"	8°55' 46.69"
3	Ettapadappu Beat	77°11' 36.37"	8°55' 33.35"
4	Ettapadappu Beat	77°13' 9.1"	8°54' 59.97"
5	Ettapadappu Beat	77°13' 25.46"	8°54' 5.69"
6	Ettapadappu Beat	77°14' 28.6"	8°53' 34.51"
7	Ettapadappu Beat	77°15' 23.91"	8°52' 38.96"
8	Ettapadappu Beat	77°15' 32.7"	8°51' 47.67"
9	Ettapadappu Beat	77°15' 43.38"	8°51' 18.85"
10	Ettapadappu Beat	77°15' 35.15"	8°51' 5.6"
11	Ettapadappu Beat	77°15' 47.94"	8°50' 28.99"
12	Kalamkkunnu Beat	77°5' 57.05"	8°58' 2.03"
13	Kalamkkunnu Beat	77°6' 8.4"	8°57' 34.99"
14	Kalamkkunnu Beat	77°7' 13.02"	8°56' 50.32"
15	Kalamkkunnu Beat	77°7' 46.34"	8°56' 42.87"
16	Kalamkkunnu Beat	77°4' 44.26"	8°56' 52.47"
17	Kalamkkunnu Beat	77°4' 32.56"	8°56' 55"
18	Kalamkkunnu Beat	77°4' 15.46"	8°57' 8.18"
19	Kalamkkunnu Beat	77°4' 25.13"	8°57' 12.78"
20	Kalamkkunnu Beat	77°4' 9.34"	8°57' 48.09"
21	Kalamkkunnu Beat	77°4' 28.92"	8°57' 48.97"
22	Kalamkkunnu Beat	77°4' 47.72"	8°57' 33.54"
23	Kalamkkunnu Beat	77°5' 21.8"	8°57' 26.36"
24	Kalamkkunnu Beat	77°5' 36.27"	8°57' 55.32"
25	Kalluvarambu Beat	77°15' 7.84"	8°49' 31.28"
26	Kalluvarambu Beat	77°14' 56.47"	8°48' 55.38"
27	Kalluvarambu Beat	77°14' 12.11"	8°48' 22.3"
28	Kalluvarambu Beat	77°12' 58.61"	8°49' 6.73"
29	Kalluvarambu Beat	77°12' 38.13"	8°49' 45.66"
30	Kalluvarambu Beat	77°12' 7.12"	8°49' 52.38"
31	Kalluvarambu Beat	77°11' 28.31"	8°49' 38.13"
32	Kalluvarambu Beat	77°10' 35.68"	8°50' 11.97"
33	Kalluvarambu Beat	77°10' 14.35"	8°51' 7.32"
34	Kalluvarambu Beat	77°9' 41.69"	8°51' 45.25"
35	Kalluvarambu Beat	77°8' 38.15"	8°51' 57.82"

36	Kalluvarambu Beat	77°8' 19.93"	8°51' 33.15"
37	Kalluvarambu Beat	77°7' 33.57"	8°51' 51.63"
38	Kalluvarambu Beat	77°6' 20.53"	8°52' 25.58"
39	Kalluvarambu Beat	77°5' 40.67"	8°53' 11.15"
40	Kalluvarambu Beat	77°5' 33.02"	8°53' 52.33"
41	Kalluvarambu Beat	77°4' 37.29"	8°53' 48.92"
42	Kalluvarambu Beat	77°5' 9.36"	8°54' 41.25"
43	Kalluvarambu Beat	77°5' 39.22"	8°54' 24.7"
44	Kalluvarambu Beat	77°6' 12.33"	8°53' 53.96"
45	Kalluvarambu Beat	77°6' 10.27"	8°54' 19.19"
46	Kalluvarambu Beat	77°6' 45.74"	8°54' 1.73"
47	Kalluvarambu Beat	77°7' 12.75"	8°54' 7.15"
48	Kalluvarambu Beat	77°6' 38.46"	8°54' 25.72"
49	Kalluvarambu Beat	77°5' 58.15"	8°54' 29.64"
50	Kalluvarambu Beat	77°5' 51.46"	8°54' 49.19"
51	Kalluvarambu Beat	77°6' 23.02"	8°55' 8.66"
52	Kalluvarambu Beat	77°6' 36.44"	8°55' 13.01"
53	Kalluvarambu Beat	77°6' 19.82"	8°55' 12.48"
54	Kalluvarambu Beat	77°6' 15.79"	8°55' 19.44"
55	Kalluvarambu Beat	77°6' 11.93"	8°55' 32.9"
56	Kalluvarambu Beat	77°6' 1.28"	8°55' 34.76"
57	Kalluvarambu Beat	77°5' 44.16"	8°55' 38.97"
58	Kalluvarambu Beat	77°5' 44.02"	8°55' 52.3"
59	Kalluvarambu Beat	77°5' 36.16"	8°55' 50.21"
60	Kalluvarambu Beat	77°5' 31.58"	8°55' 27.11"
61	Kalluvarambu Beat	77°5' 28.31"	8°55' 22.49"
62	Kalluvarambu Beat	77°5' 10.82"	8°55' 37.55"
63	Kalluvarambu Beat	77°5' 25.6"	8°55' 54.65"
64	Kalluvarambu Beat	77°5' 17.85"	8°55' 59.67"
65	Kalluvarambu Beat	77°5' 13.39"	8°56' 2.81"
66	Kalluvarambu Beat	77°5' 10.45"	8°56' 12.21"
67	Kalluvarambu Beat	77°5' 0.49"	8°56' 8.76"
68	Kalluvarambu Beat	77°4' 57.39"	8°56' 16.22"
69	Kalluvarambu Beat	77°4' 57.17"	8°56' 28.94"
70	Kalluvarambu Beat	77°4' 50.18"	8°56' 21.92"
71	Kalluvarambu Beat	77°4' 43.13"	8°56' 15.51"
72	Kalluvarambu Beat	77°4' 34"	8°56' 19.09"
73	Kalluvarambu Beat	77°4' 36.24"	8°56' 11.94"

74	Kalluvarambu Beat	77°4' 20.74"	8°56' 5.24"
75	Kalluvarambu Beat	77°4' 21.06"	8°55' 58.77"
76	Kalluvarambu Beat	77°4' 14.37"	8°56' 0.19"
77	Kalluvarambu Beat	77°4' 4.15"	8°56' 6.23"
78	Kalluvarambu Beat	77°4' 12.56"	8°56' 10.93"
79	Kalluvarambu Beat	77°4' 19.24"	8°56' 22.84"
80	Kalluvarambu Beat	77°4' 2.72"	8°56' 16.99"
81	Kalluvarambu Beat	77°4' 12.59"	8°56' 30.5"
82	Kalluvarambu Beat	77°3' 55.67"	8°56' 41.75"
83	Kalluvarambu Beat	77°4' 10.65"	8°56' 48.28"
84	Kalluvarambu Beat	77°4' 21.2"	8°56' 30.76"
85	Kalluvarambu Beat	77°4' 39.5"	8°56' 28.98"
86	Kalluvarambu Beat	77°4' 34.33"	8°56' 45.46"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Point ID	Latitude	Longitude
1	1	N 8° 46' 41.28"	E 77° 13' 16.99"
2	2	N 8° 47' 1.52"	E 77° 11' 47.51"
3	3	N 8° 47' 44.53"	E 77° 9' 7.03"
4	4	N 8° 48' 24.11"	E 77° 7' 41.64"
5	5	N 8° 49' 21.14"	E 77° 7' 0.77"
6	6	N 8° 50' 42.23"	E 77° 6' 36.79"
7	7	N 8° 51' 27.02"	E 77° 6' 56.01"
8	8	N 8° 52' 12.53"	E 77° 5' 28.29"
9	9	N 8° 53' 22.29"	E 77° 3' 57.32"
10	10	N 8° 53' 33.71"	E 77° 4' 7.92"
11	11	N 8° 54' 0.79"	E 77° 3' 49.55"
12	12	N 8° 54' 1.60"	E 77° 3' 32.38"
13	13	N 8° 55' 32.00"	E 77° 3' 56.37"
14	14	N 8° 56' 7.17"	E 77° 3' 5.13"
15	15	N 8° 57' 6.22"	E 77° 3' 43.34"
16	16	N 8° 58' 2.37"	E 77° 3' 30.28"
17	17	N 8° 57' 54.44"	E 77° 4' 13.6"
18	18	N 8° 57' 30.00"	E 77° 5' 20.32"
19	19	N 8° 58' 6.65"	E 77° 6' 9.09"
20	20	N 8° 57' 40.50"	E 77° 8' 38.78"
21	21	N 8° 56' 7.35"	E 77° 10' 21.26"
22	22	N 8° 56' 35.89"	E 77° 10' 48.5"
23	23	N 8° 56' 7.13"	E 77° 11' 52.17"
24	24	N 8° 55' 33.28"	E 77° 11' 36.34"
25	46	N 8° 48' 22.53"	E 77° 13' 59.15"
26	47	N 8° 51' 53.11"	E 77° 10' 41.25"
27	48	N 8° 52' 21.78"	E 77° 10' 7.04"
28	49	N 8° 52' 29.18"	E 77° 9' 7.97"
29	50	N 8° 52' 28.08"	E 77° 7' 19.69"
30	51	N 8° 53' 4.81"	E 77° 7' 25.73"
31	52	N 8° 53' 26.20"	E 77° 8' 43.3"
32	53	N 8° 54' 29.96"	E 77° 10' 32.28"
33	54	N 8° 55' 2.65"	E 77° 10' 4.53"
34	55	N 8° 55' 43.56"	E 77° 10' 37.01"
35	56	N 8° 54' 41.89"	E 77° 11' 7.85"

ANNEXURE-IV**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SHENDURNEY
WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl. No.	Village Name	Type of Village	Taluk	District	Latitude	Longitude
1	Aryankavu	Revenue	Punalur	Kollam	8° 58' 0" N	77° 8' 35" E
2	Thenmala	Revenue	Punalur	Kollam	8° 57' 0" N	77° 4' 0" E
3	Kulathupuzha	Revenue	Punalur	Kollam	8° 54' 29.63" N	77° 3' 19.81" E

The enclosure namely Rosemala, Kattilappara and estates namely Kallar and Thenginthopu are encircled in all sides by Shendurney Wildlife Sanctuary and are included in Eco-sensitive Zone.

ANNEXURE –V**Performa of Action Taken Report:-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.